

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 5616**  
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

**बच्चों का आधार पंजीकरण**

5616. श्री ईश्वरस्वामी के:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) आधार पंजीकरण वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का तमिलनाडु सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) मंत्रालय द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अंतर्गत अधिक संख्या में बच्चों को सम्मिलित करने, चोरी को रोकने तथा इसकी वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ग) क्या मंत्रालय आईसीडीएस के अंतर्गत सूखे राशन के प्रावधानों को नकदी हस्तांतरण से बदलने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) और (ख) मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 [पूर्ववर्ती एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के रूप में जाना जाता था] का उद्देश्य उचित पोषण सामग्री और उसके वितरण के माध्यम से बाल कुपोषण तथा मातृ कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और प्रतिरक्षा करने वाली पद्धतियों को विकसित करने के लिए परिस्थितियां और तालमेल प्रणाली स्थापित करना है। इस मिशन के तहत 6 माह से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। 6 माह

से 6 वर्ष की उम्र के आधार सत्यापित बच्चों का राज्य-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

यह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस, बैठकों और ऑनलाइन पोषण ट्रैकर प्रणाली के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क कर मिशन 2.0 के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करता है।

मंत्रालय ने 13.01.2021 को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पूरक पोषण के वितरण में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही के लिए “पोषण ट्रैकर” के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन, कर्तव्यधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां, खरीद की प्रक्रिया, आयुष अवधारणाओं और आंकड़ा प्रबंधन तथा निगरानी को एकीकृत करने जैसे कई पहलुओं को कारगर बनाया जा सके। पोषण ट्रैकर के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:

(i) पोषण ट्रैकर में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है।

(ii) पोषण ट्रैकर में पंजीकरण के बाद सभी लाभार्थियों को एसएमएस के माध्यम से उन सेवाओं के बारे में सूचित किया जाता है, जिनका लाभ वे आंगनवाड़ी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा सकते हैं, इससे नागरिकों का स्वामित्व बनता है।

(iii) इसके अलावा, टीएचआर के वितरण के संबंध में, लाभार्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पोषण हेल्पलाइन विवरण के साथ एसएमएस अलर्ट भेजे जा रहे हैं। यदि लाभार्थी को टीएचआर नहीं मिलता है, तो वह पोषण हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कर सकता है।

(iv) पोषण ट्रैकर में विकास निगरानी के वास्तविक रिकॉर्ड को ऑटो जनरेटेड मासिक रिपोर्ट द्वारा बदल दिया गया है। इन रिपोर्टों को डाउनलोड किया जा सकता है और पर्यवेक्षकों द्वारा समीक्षा बैठक में इनका उपयोग किया जा सकता है।

(v) प्रासंगिक विषयों पर आईईसी सामग्री पोषण ट्रैकर पर डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे भारी आईईसी सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।

(vi) सभी घरों के दौरे अब पोषण ट्रेकर में स्वचालित रूप से निर्धारित किए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें अनुस्मारक(रिमांडर) भी मिलते हैं। घरों के दौरों की पूर्ण और लंबित रिपोर्ट पोषण ट्रेकर में उपलब्ध है।

(vii) "पोषण ट्रेकर" पर कुपोषण संकेतकों पर तत्समय आंकड़ा हर माह उपलब्ध है। एनएफएचएस (लगभग 6.1 लाख घरों का नमूना आकार) की तुलना में, पोषण ट्रेकर लगातार प्रत्येक माह लगभग 7-8 करोड़ बच्चों को मापता है, जिससे लाभार्थियों की तत्समय पोषण स्थिति का पता चलता है।

(viii) पोषण ट्रेकर में विकास निगरानी, घरों का दौरा करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने के आधार पर प्रोत्साहनों के लिए पात्रता की स्वतः गणना की व्यवस्था है।

(ix) पोषण ट्रेकर में तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट) के रूप में एक नई रिपोर्ट जोड़ी गई है। पोषण ट्रेकर विकास निगरानी, आंगनवाड़ी केंद्रों के खुलने, प्रत्येक दिन बच्चों की उपस्थिति, आंगनवाड़ी केंद्रों में बुनियादी ढांचे का विवरण इत्यादि जैसी विभिन्न रिपोर्टें तैयार करता है। ये रिपोर्ट पर्यवेक्षकों, सीडीपीओ और डीपीओ सहित सभी स्तरों पर उपलब्ध हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुपोषित बच्चों के लिए लक्षित दृष्टिकोण सहित योजना के बेहतर प्रशासनिक पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन में मदद मिली है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को कुशल निगरानी और सेवा प्रदायगी के लिए स्मार्टफोन देकर उन्हें तकनीकी रूप से सशक्त बनाया गया है। मोबाइल एप्लिकेशन पोषण ट्रेकर ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले भौतिक(फिजीकल) रजिस्ट्रों को डिजिटल कर दिया है। इससे उनके काम की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और साथ ही उन्हें तत्समय कार्यान्वयन और निगरानी करने में मदद मिली है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

**“बच्चों का आधार पंजीकरण” विषय के संबंध में दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5616 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

दिनांक 01.04.2025 तक पोषण ट्रेकर पर आधार सत्यापित बच्चों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	13,04,247	11,49,108	24,53,355
2.	अरुणाचल प्रदेश	31,405	51,446	82,851
3.	असम	10,29,574	15,96,061	26,25,635
4.	बिहार	38,71,145	53,80,319	92,51,464
5.	छत्तीसगढ़	9,87,369	11,11,572	20,98,941
6.	गोवा	31,481	14,733	46,214
7.	गुजरात	13,69,739	15,02,958	28,72,697
8.	हरियाणा	6,95,875	9,49,787	16,45,662
9.	हिमाचल प्रदेश	2,02,917	2,36,667	4,39,584
10.	झारखंड	12,03,856	14,84,426	26,88,282
11.	कर्नाटक	17,33,693	17,90,007	35,23,700
12.	केरल	7,03,963	10,37,624	17,41,587
13.	मध्य प्रदेश	26,43,113	35,84,610	62,27,723
14.	महाराष्ट्र	23,60,797	32,58,658	56,19,455
15.	मणिपुर	93,075	1,64,076	2,57,151
16.	मेघालय	1,31,530	2,20,737	3,52,267
17.	मिजोरम	40,208	60,591	1,00,799
18.	नागालैंड	35,285	64,018	99,303
19.	ओडिशा	14,11,628	18,05,759	32,17,387
20.	पंजाब	6,20,609	7,42,844	13,63,453
21.	राजस्थान	17,77,875	16,70,133	34,48,008
22.	सिक्किम	11,179	16,969	28,148
23.	तमिलनाडु	16,71,393	17,83,945	34,55,338
24.	तेलंगाना	9,04,830	8,63,692	17,68,522
25.	त्रिपुरा	1,12,906	1,66,295	2,79,201
26.	उत्तर प्रदेश	90,89,109	95,92,704	1,86,81,813
27.	उत्तराखंड	3,58,105	2,48,335	6,06,440
28.	पश्चिम बंगाल	31,27,303	40,17,496	71,44,799
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6,727	3,367	10,094
30.	दादरा और नगर हवेली - दमन व दीव	15,666	14,162	29,828

31.	दिल्ली	3,24,392	1,44,483	4,68,875
32.	जम्मू एवं कश्मीर	3,41,039	4,14,441	7,55,480
33.	लद्दाख	7,770	8,439	16,209
34.	लक्षद्वीप	2,731	968	3,699
35.	पुदुच्चेरी	22,902	5,003	27,905
36.	यूटी-चंडीगढ़	16,239	17,575	33,814
	<b>कुल</b>	<b>3,82,91,675</b>	<b>4,51,74,008</b>	<b>8,34,65,683</b>

\*\*\*\*\*